कर्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज ।
पत्र संख्या– सीएफओ० / कार्य० / 2024 दिनांक– मई 28 2024

सेवा में,

प्रबन्धक / आवेदक,
सेन्ट पीटर्स एकेडमी,
332 गोविन्दपुर, प्रयागराज ।

विषयः– सेन्ट पीटर्स एकेडमी, 332 गोविन्दपुर, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबन्ध में।

सन्दर्भः आवदेक के प्रार्थना पत्र के संबन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से सेन्ट पीटर्स एकेडमी, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों की अग्निशमन कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है. उक्त स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणो का निरीक्षण / परीक्षण श्री राजेश कुमार अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन्स प्रयागराज द्वारा कराया गया, निरीक्षण आंख्या का विवरण निम्नवत है

1. भवन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल तक निर्मित है।
2. भवन के प्रत्येक तल पर होजरीललैण्डिंग वाल्व तथा होज कैविनेट स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।
3. प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः–: भवन के प्रत्येक तल पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०–2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गया।
4. स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं।
5. फायर स्टेशन का मो० नं० जगह–जगह अंकित पाया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. आवेदक / प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये में रखा जायें।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जायें।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटिपाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय, अबिलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भवन स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अ्थवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्य प्रबन्धक / आवेदक की होगी अन्यथा निर्गत किया जा रहा अग्निशमन कार्यशीलता प्रमाण–प्त्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

28.05.2024

श्री आर० के० पाण्डेय
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज

आर० के० पाण्डेय
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कमिश्नरेट, प्रयागराज